

प्रति, श्रीमान कलेक्टर महोदय बिलासपुर
श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बिलासपुर
श्रीमान विकास एवं शिक्षा अधिकारी महोदय गल्दरी
जिला- बिलासपुर (छ.प्र.)

विषय: - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आवंटन की स्वीकृति उपरांत
प्रदाय नहीं करने वाला!

संदर्भ: - कार्या बिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के आदेश क्रमांक/ 7598/अनर/06/चि. प्र. पू./2025-26 बिलासपुर दिनांक 01/07/25

प्रति, सादर विवेदन है कि मुझे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु 187459 (एक लाख सत्तासी हजार चार सौ उनसठ रुपये) स्वीकृत किया गया है। उक्त राशि प्रदान करने हेतु वि०२० शिक्षा अधिकारी कार्यालय मसूरी में परस्पर सहायक गेड 02 श्री सी. एच. नोरेके द्वारा दिनांक 01/01/25 को राशि 8.26 लगे मोबाइल नं - 96301135096 में कल किया गया, जिसे मैं स्वीकृति कर पाया। पुनः 8.30 लगे जब मैंने कल किया तो उक्त क्लर्क के द्वारा उक्त राशि को मेरे खाता में जमा करने के एवम में कुल भुगतान योग्य राशि का 10% राशि देने को बोला गया जिसे देने हेतु मैंने असमर्थता जतायी। उक्त 10% राशि नहीं देने पर मुझे भुगतान नहीं किया गया है। जबकि उक्त सूची में शामिल सभी व्यक्तियों को राशि का भुगतान कुल दिनांक 15/07/25 को राशि में ही कर दिया गया है।

अतः श्रीमान की आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना सादर

प्रस्तुत है।

क्र. 64-4396 के खसल 00-04

आवेदक 
संतोष कुमार सिंघ
सदर
शा. शा. शा. खपरी
वि०२०० - गल्दरी

